


फर्द अहकाम


कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

क्रमांक 5327A विपक्षी अरुणलाल
पत्रावली संख्या 65 सन 19

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
<p><u>12/8/22</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलण्ट/ प्रतिवादी/निपक्षी/रेरको उपस्थित/धीरारी अधिकारी महो. आज अवकाश/अगण/मिडिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की फालना में दिनांक <u>30/9/22</u> को पेश हो।</p>	
<p><u>20/9/22</u> आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली नें कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक.... <u>21/10/22</u> को पेश हो।</p>	
<p><u>21/10/22</u> आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली नें कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक.... <u>13/11/22</u> को पेश हो।</p>	
<p><u>13/01/23</u> वकूलाय वारी/मलिकी उप./ <u>संशाधिकार सिर्फिस/पत्रावली</u> के जिये मोदी च हते है। अतः <u>अरुणलाल</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>17/03/23</u> को पेश हो। <u>SDO मावली</u></p>	
<p><u>18/9/23</u> आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली नें कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक.... <u>05/5/23</u> को पेश हो।</p>	
<p><u>20/4/23</u> पत्रावली लता की गई। "पशासन गांवों के संग अभियान-2023" कार्यक्रम किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पत्रावली को स्थगित किया जाकर पत्रावली का <u>पलनाऊस</u> दिनांक <u>10/5/23</u> को पेश हो। <u>M</u> सहायक कलेक्टर (SDO) मावली</p>	

10/5/23

पत्रावली आज कैंम्प में पेश हुई।
प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-
नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली
पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय
हाजा में दिनांक-28.1.23 को
पेश हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

28/7/23

आज दिनांक की बार एस.सि.पेंचन मावली
में कार्य स्थगित रखने का अनुबंध किया।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक....
20/10/23 को पेश हो।

20/10/23

बकुलाय वादी / प्रतिवादी उप. में श्री किशोर/मावली
के लिये मौका चाहते हैं। अतः स्वप्न: हांड की अर्ज पर
अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 05/01/24
को पेश हो।


SDO, मावली

05/01/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय
वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 मय अधिवक्ता अनुपस्थित।
इसमय पक्षकारान को भावने दिलवाई गई। समय सांय
5:00 PM हो चुके हैं। इसमय पक्षकारान अनुपस्थित हैं।
अतः अधिवक्ता मय वादीगण व अधिवक्ता मय प्रतिवादी
सं. 2 अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद व प्रतिवादी
सं. 2 का प्रतिवाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार लेकर नम्बर
से कम हो।



निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली